



552

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश खैरोल उड्डेल

PBR/निगरानी/शाबाहुर/भूर्णा/२०१७/३८६ प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

वी सुनील राजेश
उमितापल द्वारा देखा
ज्ञानीय भाष्टुरे
20/09/2017

बाबुलाल पिता रामचरण, जाति-खाती, धंधा-
कृषि, निवासी-ग्राम अरनियाकलां तहसील
• कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा
• मुख्यारआम श्याम सोनानिया पिता श्री
• बाबुलाल सोनानिया, जाति-खाती, धंधा-
• वकालात, निवासी- ग्राम अरनियाकलां तहसील
कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.....

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

ईश्वरलाल पिता रामचरण फोत वारिसान (1
लगायत 5) :-

1. दिनेश कुमार पिता ईश्वरलाल,
2. ओमप्रकाश पिता ईश्वरलाल,
3. रेखा बाई पुत्री ईश्वरलाल,
4. सीमाबाई पुत्री ईश्वरलाल,
5. मानकुंवरबाई बेवा ईश्वरलाल, समस्त जाति-
खाती, धंधा-कृषि, निवासी- ग्राम अरनियाकलां
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. ।
6. मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटवारी, ग्राम
अरनियाकलां तहसील कालापीपल जिला
शाजापुर म.प्र.प्रत्यर्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

माननीय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, टेप्पा

अरनियाकलां द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-३/2014-15 में पारित
आदेश दिनांक 20.09.2017 से दुखित होकर प्रथम निगरानी ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/3556

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१९-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५.५.१९ को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	<p>प्रशासकीय सदस्य</p>